संख्या-562/2020/2977/22-2-2019-ई-16/18

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 दिसम्बर, 2020***

विषय:-जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामगोपाल पुत्र श्री कन्हैयालाल, निवासी जनपद-हरदोई की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33635/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 26.09.2019, दिनांक 19.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामगोपाल पुत्र श्री कन्हैयालाल, ग्राम-ज्ञानपुर एच/ओ अर्जुनपुर, थाना-हरपालपुर, जनपद-हरदोई का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.04.2007 को गेहूँ की फसल को रात में थ्रेसर से कटवा लिया जिसकी शिकायत थाने में करने जा रहे व्यक्ति को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-169/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 07.09.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.09.2015 द्वारा यथावत रखा गया है। पुलिस अधीक्षक, हरदोई ने अपनी आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने एवं कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामगोपाल (बन्दी संख्या-1958/16) पुत्र श्री कन्हैयालाल, निवासी जनपद-हरदोई की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-562/2020/2977(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, हरदोई।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in